


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा —

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/ 3419 /2023 दिनांक 21.11.2023

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/3199/2023 दिनांक 26.10.223 के द्वारा श्री सुरेन्द्र खरे (RJ00387), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, श्रीगंगानगर को दिनांक 16.11.2023 से 18.11.2023 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 10.11.2023 से 15.11.2023 एवं 19.11.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/18/2002/7399

दिनांक 21.11.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, श्रीगंगानगर को उनके पत्रांक 57 दिनांक 07.11.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री सुरेन्द्र खरे (RJ00387), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, श्रीगंगानगर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, श्रीगंगानगर।


सहायक रजिस्ट्रार